प्रेस नोट दिनांक 27.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी के सामान का विक्रीधन कुल 2000 रूपये नगद बरामद -
अभियुक्तों को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नवाबाद सचौली बाग से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम घोर, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ के घर का ताला तोड़कर आरोपीगणों द्वारा वादी के घर में प्रवेश कर सामान पीतल के कुछ बर्तन, पायल चाँदी का, 8,000 रू नकद व एक चारा की मशीन चोरी कर लेने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु0अ0सं0 15/026 धारा 305,331 (4) BNS बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर के उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह उ0नि0 मनोज जायसवाल, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे0का० हरिकेश यादव, का0 सुनील पटेल के द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 15/026 धारा 305,331(4),317(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों 1.पप्पू पुत्र अमृतलाल उर्फ गामा नि0 नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष, 2. मो0 जीशान पुत्र आजाद अली नि० नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत नवाबाद सचौली बाग से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से कुल 2000 रूपये चोरी के सामान का विक्रीधन नगद बरामद किया गया। जिसके संबंध में उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनो ने अपने 02 साथी के साथ मिलकर इसी महीने की 21 व 22 तारीख की रात में घोर गांव के घर में घुसकर ताला तोड़कर एक चारा मशीन, कुछ पीतल की परात, हन्डा पीतल का, एक जोडी पायल चांदी की व 8 हजार रूपये नकद चुराये थे। चुराये हुये 8 हजार रूपयों को हम चारों ने बराबर हिस्सो में बांट

लिया था जिसमें हम दोनो के हिस्से में दो-दो हजार रूपये आये थे। हम लोगों को आज सुबह पता चला कि चोरी को लेकर थाने पर शिकायत कर दी है तो हम दोनो लोग पकडे जाने के डर से भागने की योजना बना रहे थे कि आप लोगों ने हमको पकड़ लिया।

अभियुक्तों का विवरण-
01. 1.पप्पू पुत्र अमृतलाल उर्फ गामा नि0 नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 23 वर्ष।
02. मो0 जीशान पुत्र आजाद अली नि० नजियापुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी- कुल 2000 रूपये चोरी के सामान का विक्रीधन नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद यादव मय हमराह उ0नि0 मनोज जायसवाल, उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, हे0का० हरिकेश यादव, का0 सुनील पटेल थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ
मां बेल्हा देवी मंदिर परिसर में अभद्रता करने वाले 03 अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार, त्वरित व प्रभावी कार्यवाही-
अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बेल्हा चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है-

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 26.01.2026 को मां बेल्हा देवी मंदिर परिसर में चार युवक सिगरेट पीते हुए लड़कियों पर छींटाकशी व अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। पूछताछ में गलत नाम बताकर बाद में सही नाम स्वीकार किए तथा गाली-गलौज व धमकी देने से मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 053/2026 धारा 296, 352, 351(2) बनाम 04 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित व प्रभावी कार्यवाही की गई।*

थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी हमराह हे का0 संतोष कुमार व का0 योगेश कुमार द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत बेल्हा चौराहा के पास से अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण —
01. फरहान पुत्र निजामुद्दीन निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 20 वर्ष ।
02. मोहम्मद जीशान पुत्र मो0 जहीर निवासी पूर्वी सहोदरपुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।
03. मो सिराज पुत्र मो फुरकान निवासी तेलिया चौराहा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष ।
पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी हमराह हे का0 संतोष कुमार व का0 योगेश कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

"ऑपरेशन प्रहार" के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 1.100 किग्रा अवैध गांजा सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुल 1.100 किग्रा अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 350/- रु० व 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा के साथ 02 अभियुक्तों, राकेश रजनीश उर्फ मोनू व अभिजीत सिंह उर्फ संजू को किया गया गिरफ्तार-
अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान रेलवे अण्डरपास के पास से गिरफ्तार किया गया-
जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी भगवा उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव व उ0नि0 राहुल कुमार चौकी प्रभारी मकन्दूगंज मय हमराह का0 मनोज कुमार, का0 अभिषेक वर्मा, का0 मो0 आरिफ, का0 विलाश यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान रेलवे अण्डरपास

के पास से 02 अभियुक्तों, 01. राकेश रजनीश उर्फ मोनू पुत्र शिवपूजन नि० देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष, 02. अभिजीत सिंह उर्फ संजू पुत्र स्व0 रणविजय सिंह भोपियामऊ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष के कब्जे से कुल 1.100 किग्रा अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 350/- रु० व 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1.100 किग्रा अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 350/- रु० की बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 52 धारा 8/20 NDPS ACT का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग स्कूटी में गांजा रखकर चलते फिरते लोगो को गांजा बेचकर अपने शौक पूरे करते है व मौज मस्ती करते है। आज भी जब हम लोग बेचने के लिए खड़े थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. राकेश रजनीश उर्फ मोनू पुत्र शिवपूजन निवासी देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष।

02. अभिजीत सिंह उर्फ संजू पुत्र स्व0 रणविजय सिंह भोपियामऊ थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त राकेश रजनीश उर्फ मोनू पुत्र शिवपूजन निवासी देवकली थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 27 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 0644/2023, धारा 395, 412 भा.दं.सं. थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 0251/2024, धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986, थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।

03. मु0अ0सं0 0074/2025, धारा 351(2), 352, 61(2), 64 भारतीय न्याय संहिता 2023, थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।

04. मु0अ0सं0 52 धारा 8/20 NDPS ACT थाना कोतवाली सिटी, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 1.100 किग्रा अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 350/- रु० व 01 अदद स्कूटी होण्डा एक्टिवा बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- चौकी प्रभारी भगवा उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव व उ0नि0 राहुल कुमार चौकी प्रभारी मकन्दूगंज मय हमराह का0 मनोज कुमार, का0 अभिषेक वर्मा, का0 मो0 आरिफ, का0 विलाश यादव थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।